क्रमांक 18/1/90-2 जी0एस0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

(1) सभी विभागाध्यक्ष, सभी मण्डलों के आयुक्त ।

(2) सभी उपायुक्त और उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक)

(3) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक चण्डीगढ़ 28-8-1990

विषय :—सरकारी कर्मचारियों द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से सीधा सम्पर्क करना।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर मार्जिन में दिए गए हरियाणा के परिपत्रों की ओर दिलाऊं, जिन द्वारा सरकारी कर्मचारियों को अपने सेवा सम्बन्धी मामलों के लिए मंत्रिय विधान सभा के सदस्यों या अन्य प्रभावी नागरिकों से सम्पर्क स्थापित करने से मना किया गया था। इन में यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारी कोई मामला सरकार के नोटिस चाहता है तो उसे सदा सरकार को अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से ही सम्बोधित करना चाहिये ।

2. यह देखने में आया है कि उक्त हिदायतों का दृढ़ता से पालन नहीं किया जा रहा और नियमावली के नियम 20 तथा उचित माध्यम (Proper Channel) की व्यवस्था की उल्लंघना करते अधिकारियों से मिलने की प्रवृति बढ़ती जा रही है। अतः पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य कोई कर्मचारी उक्त हिदायतों की उल्लंघना करते हुये या पूर्व अनुमति लिये बिना किसी मन्त्री संसद, वि अन्य प्रभावी नागरिक से अपनी सेवा सम्बन्धी मामलों के लिये सम्पर्क करेगा या उन द्वारा दबाव डालने क करेगा, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

3. अतः अनुरोध है कि उक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना के लिए अपने अधीन कार्य कर रहे कर्म अधिकारियों के ध्यान में ला दिया जाये।

भवदीय,

हस्ता/-

अधीक्षक सामान्य सेवायें

कृते: मुख्य सचिव, हरियाण

पृष्ठांकन क्रमांक 18/1/90 जी. एस. I दिनांक 28-8-1990

एक प्रति हरियाणा के सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार को इस विभाग के अश 39/5/78-जी. एस. I दिनांक 6-4-1978 के क्रम में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

हस्ता/-

अधीक्षक सामान्य सेवायें शाख

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा स

सेवा में

हरियाणा के सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव,

हरियाणा सरकार।

अशा: क्रमांक 18/1/90-2 जी. सी. I दिनांक 28-8-1990।

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(सामान्य सेवाएं)

अधिसूचना

दिनांक 5, जुलाई 1991

सं0 सा0 का0 नि0 44/संवि0/अनु0 309, 318 तथा 187/91.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 खण्ड (3) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदान की शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्र हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष के परामर्श से इसके द्वारा सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 1966, को आगे संशो करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम सरकारी कर्मचारी (आचरण) हरियाणा द्वितीय संशोधन नियम, 1991, कहे जा सकते हैं।

2. सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 1956 नियम 18 में—

(i) उप नियम (3) में, "2000 रुपये" अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, "10,000 रुपए" अंक अक्षर रखें जायेंगे और

(ii) उप नियम (5) मे, स्पष्टीकरण मे खण्ड (1) में, उप खण्ड (i) में "2000 रुपए", अंकों अक्षरों के स्थान पर, "10,000 रुपए," अंक तथा अक्षर रखें जायेंगे।

(हस्ताक्षर)

मुख्य सचिव, हरियाणा सरका

[Authorised English Translati

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (GENERAL SERVICES)

Notification

The 5th July, 1991

No. GSR 44/Const./Arts. 309, 318 and 187/91. —In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 and clause (b) of article 318 read with clause (3) of article 187 of the Constitut of India, and all other powers enabling him in this behalf, the President of India in consultation w the Speaker of the Haryana Legislature Assembly hereby makes the following rules further to am the Government Employees (Conduct) Rules, 1966, namely :—

1. These rules may be called the Government Employees (Conduct) Haryana Second Amendm Rules, 1991.

2. In the Government Employees (Conduct) Rules, 1966, in rule 18,—

   (i) in sub-rule (3), for the letters and figures "Rs. 2,000", the letters and figures " 10,000", shall be substituted; and

   (ii) in sub-rule (5), in the explanation, in clause (1), in sub clause (i) for the letters figures "Rs. 2,000", the letters and figures "Rs. 10,000" shall be substituted.

Sd/-

Chief Secretary to Government, Harya